



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938

No. 902]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1192(अ).—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2016 है।
(2) यह, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसी समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 में पैरा 28 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“28क. कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के संबंध में विशेष उपबंध - इस स्कीम के उपबंधों के अध्वधीन अपवाद और उपांतरण के संबंध में लागू होंगे, उन कर्मचारियों पर जिनकी सदस्यता कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 82क के अधीन घोषित की गई है, निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

पैरा 8क में, उप पैरा (1) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात् :—

“सारणी

(कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अधीन विधिमान्य घोषणाओं के संबंध में प्रेषणों के लिए लागू सारणी)

चूक की अवधि	नुकसानी की दर
(1)	(2)
1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच	एक रुपया प्रतिवर्ष

[फा.सं. एस-35012/13/2016-एस.एस.-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ) तारीख 28 जुलाई, 1976 में प्रकाशित की गई थी और पिछली बार इसमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 543(अ) तारीख 24 मई, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2016

G.S.R. 1192(E).—In exercise of powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit Linked Insurance (**Second** Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force on the 1st day of January, 2017 and shall cease to operate on the 31st day of March, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such cessation.

2. In the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, after paragraph 28, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“28A. Special provision in respect of Employees' Enrolment Campaign, 2017.— The exceptions and modifications subject to which the provisions of this Scheme shall apply, in relation to the employees' whose membership have been declared under paragraph 82A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in accordance with the Employees' Enrolment Campaign, 2017, shall be as follows, namely:—

In paragraph 8A, in sub-paragraph (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

(Applicable for remittances in respect of valid declarations under Employees' Enrolment Campaign, 2017)

Period of default	Rate of damages
(1)	(2)
Between the 1 st day of April, 2009 to the 31 st day of December, 2016	One rupee per annum.”.

[F. No. S-35012/13/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 488(E), dated the 28th July, 1976 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 543(E), dated the 24th May, 2016.